बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी CUG SIM की सुविधा से संबद्ध मोबाईल नंबरों का BSNL से Airtel में Portability के संबंध में आवश्यक सूचना

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा राज्य के वरीय पदाधिकारियों को CUG SIM की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। बेहतर नेटवर्क के साथ 4G सुविधा युक्त इंटरनेट प्लान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Limited Tender Enquiry के माध्यम से न्यूनतम निविदित्त दर के आधार पर टेलीकॉम सेवा प्रदाता Bharti Airtel Ltd. Patna का चयन इस हेतु किया गया है । Airtel से उपलब्ध कराए जाने वाली Postpaid CUG SIM की विशिष्टियाँ निम्नवत हैं –

a) Unlimited incoming & outgoing Local & STD Voice call on any network in Local and National Roaming.
b) 3000 SMS per month on any network.
c) Minimum 45 GB per month 4G Data usage with rollover facility.
d) निविदा शर्तों के अनुरुप सीम पर शुल्क आधारित सेवाओं यथा – Value Added Services (VAS) या Personalized Ring Back Tone (PRBT) को activate नहीं किया जाएगा ।
e) इस सीम में ISD Call / SMS तथा International Roaming की सुविधा उपलब्ध नहीं है । विशेष परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय भ्रमण की अवधि में पदाधिकारी से प्राप्त अनुरोध पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निदेश से International Roaming. ISD Call / SMS की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व से आवंटित BSNL के मोबाइल नंबरों का Airtel में Portability कराया जाना है । Portability कराए जाने हेतु Postpaid CUG Sim के उपयोगकर्ता पदाधिकारी से निम्नांकित कार्रवाईयां अपेक्षित होंगी–

i- पूर्व से आवंटित BSNL के मोबाइल नंबर से PORT <space> 10 digit mobile number अंकित करते हुए 1900 नंबर पर SMS किया जाएगा ।

ii- BSNL से इस मोबाइल नंबर पर Auto Generated 8 digit Unique Porting Code (UPC) प्राप्त होगा जिसे जिला / विभागीय आई.टी.प्रबंधक के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को यथाशीघ्र भेजा जाएगा।

iii- TRAI के निर्देशानुसार Portability का कार्य Unique Porting Code (UPC) प्राप्त होने के 4 दिनों के अंदर संपन्न कर लिया जाना है ।

iv- Bharti Airtel से प्राप्त नए सिम को आई.टी. प्रबंधकों के माध्यम से ससमय उपलब्ध करा दिया जायेगा जिसे पुराने SIM के Deactivate होने के तुरंत बाद Activate कर लेना होगा।

3. यह सभी संबंधित के सूचनार्थ है।

ह० ——
(धनंजय कुमार)
प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी।

ज्ञापांक – बि०प्र०सु०मि०सो० / प्रो०–23 / 2019 / सो० 68, दिनांक– 12/01/2022

प्रतिलिपि– सभी संबंधित अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त / जिलाधिकारी अपर समाहर्ता / अनुमंडल पदाधिकारी / जिला कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य सम्बंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए कृपया प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी जिला / विभागीय आई.टी.प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/2022
प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी।

C:\Users\BPSM\Desktop\12-01-2022.docx